<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

30.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने **मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** ("जेजीएफ") के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और मुरैना जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया।तलाशी में किशन मोदी, श्रीमती पायल मोदी, अमित कुकलोद और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसरों के साथ-साथ मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के आधिकारिक परिसर और कारखाने की भी तलाशी ली गई, जो अपराध की आय के कथित लाभार्थी थे।

ईडी ने मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर की जांच से पता चला कि कंपनी अपने निदेशकों के माध्यम से "जाली लैब प्रमाणपत्रों" का उपयोग करके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलावटी दूध उत्पादों के उत्पादन और वितरण में लगी हुई थी।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स जेजीएफ ने मिलावटी दूध उत्पाद बनाए और निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) इंदौर से निर्यात प्रमाण प्राप्त करने के लिए बीआईएस/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किए गए फर्जी प्रयोगशाला प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया, जिनका इस्तेमाल मिलावटी दूध उत्पादों के निर्यात के लिए किया गया। सत्यापन से पता चला कि ये प्रमाण पत्र या तो मूल रूप से अन्य कंपनियों को जारी किए गए थे या जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे। अब तक की जांच के दौरान, 63 जाली प्रयोगशाला प्रमाण पत्रों की पहचान की गई है जिनका उपयोग मिलावटी दूध उत्पादों को विभिन्न देशों में निर्यात के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, कंपनी या उसके निदेशकों के नाम पर लगभग 6.26 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) के रूप में चल संपत्ति पाई गई, जिसे फ्रीज कर दिया गया और 25 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई, साथ ही बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारें भी जब्त की गईं। इसके अलावा, किशन मोदी की विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड पाए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।